

माघ कृष्ण पक्ष, द्वादशी
विक्रम संवत् 2080

लखनऊ, बरेली, मुरादाबाद, हल्द्वानी, अयोध्या व कानपुर से प्रकाशित

अमृत विचार

एक सम्पूर्ण अखबार

लखनऊ
बुधवार, 7 फरवरी 2024
वर्ष 34, अंक 13, पृष्ठ 16
2 राज्य, 6 संस्करण
मूल्य - 5 रुपये

www.amritvichar.com

...तो चांद पर होगा अपना घरौंदा

16 सोनाली ने की अभिनेता मोहनलाल की तारीफ

15

लक्ष्मणखंडों मीनाक्षी धूप एवं अगरवती



होलसेल और फुटकर विक्रेताओं के लिए संपर्क करें, मो: 8052400098

आपके सहयोग और सहभागिता का स्वागत है।

!!जय माता दी!!

समस्त धर्मप्रेमियों को हर्ष सहित यह अवगत हो कि आपके क्षेत्र में ज्योतिष परामर्श, यज्ञ अनुष्ठान, समस्त वैदिक पूजन मां वैष्णो सेवा ट्रस्ट के माध्यम से सम्पन्न किया जाता है। इसके साथ ही सामूहिक विवाह संस्कृत शिक्षण, ज्योतिष विद्या के प्रचार प्रसार हेतु भी ट्रस्ट कृतसंकल्प है।

सौ.से : श्री नवग्रह ज्योतिष सेवा संस्थान



पं. शिव कुमार शास्त्री
संयोजक
मां वैष्णो सेवा ट्रस्ट
मझेबा, चन्द्रवतपुर, गोण्डा-271001
मो: 8795229000

एक नजर

कश्मीरी कवि फारुक नाजकी का निधन

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के प्रसिद्ध कवि, दूरदर्शन, आकाशवाणी श्रीनगर के पूर्व निदेशक और साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता फारुक नाजकी का लंबी बीमारी के बाद मंगलवार सुबह कटरा के श्री माता वैष्णो देवी नारायण सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में निधन हो गया। वह 83 वर्ष के थे। परिवारिक सूत्रों ने आज नाजकी के निधन के बारे में जानकारी दी। दूरदर्शन और आकाशवाणी, श्रीनगर के पूर्व निदेशक नाजकी मूल रूप से जम्मू-कश्मीर के बांदीपोरा जिले के मदार गांव के निवासी और कश्मीरी सुप्रसिद्ध कवि एवं लेखक प्रसारक तथा शिक्षक मीर गुलाम रसूल नकाक के पुत्र थे। एक कवि, नाटककार और प्रसारक के रूप में नाजकी ने अपने युवा दिनों में अपनी पहचान बनाई थी।

रिश्वत में सहायक कर आयुक्त पर केस दर्ज

मुंबई। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने कर संबंधी एक लंबित मामले के निपटारे को लेकर एक कंपनी के निदेशक से एक करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने के आरोप में एक राज्य कर सहायक आयुक्त और महाराष्ट्र जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) विभाग के कुछ अन्य अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अधिकारियों ने सीमावार को बताया कि एसीबी मुंबई इकाई ने राज्य कर (जांच शाखा) के सहायक आयुक्त अर्जुन सुर्यवंशी और अन्य अधिकारियों के खिलाफ दो फरवरी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा सात के तहत मामला दर्ज किया।

उत्तराखंड विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश

सदन से पास होने और राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद बन जाएगा कानून

ब्यूरो, देहरादून

समान नागरिक संहिता के प्रमुख बिंदु

- तलाक के लिए सभी धर्मों का एक कानून होगा
- तलाक के बाद भरण पोषण का नियम एक होगा
- गोद लेने के लिए सभी धर्मों का एक कानून होगा
- संपत्ति बंटवारे में लड़की का समान हक लागू होगा
- सभी धर्मों में लड़की की विवाह की उम्र 18 वर्ष होगी
- लिव इन रिलेशनशिप के लिए पंजीकरण जरूरी होगा
- प्रदेश की जनजातियां इस कानून के दायरे से बाहर होंगी
- बहुपत्नी प्रथा समाप्त, एक पति-पत्नी का नियम सब पर लागू

विधेयक को प्रवर समिति के हवाले किया जाए: कांग्रेस

कांग्रेस के विधायकों ने कहा कि यूसीसी विधेयक को प्रवर समिति के हवाले किया जाए, ताकि उसमें सुधार किया जा सके। नेता विपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि विधेयक को पहले प्रवर समिति के हवाले किया जाए। विधेयक के संदर्भ में संसदीय कार्यमंत्री को चर्चा करनी चाहिए थी। कहा कि एक्सपर्ट कमेटी में धर्मगुरुओं को भी शामिल किया जाना चाहिए था।

बिना रजिस्ट्रेशन, लिव इन रिलेशन पर जेल

समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद उत्तराखंड में लिव इन रिलेशनशिप का वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होगा। रजिस्ट्रेशन न कराने पर युगल को छह महीने का कारावास और 25 हजार का दंड या दोनों हो सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की रसीद के आधार पर उन्हें किराए पर घर, हॉस्टल या पीजी मिल सकेगा। वयस्क पुरुष व वयस्क महिला ही लिव इन रिलेशनशिप में रह सकेंगे। वे पहले से विवाहित या किसी अन्य के साथ लिव इन रिलेशनशिप या प्रोहिबिटेड डिग्रीस ऑफ रिलेशनशिप में नहीं होने चाहिए। पंजीकरण कराने वाले युगल की सूचना रजिस्ट्रार को उनके माता-पिता या अभिभावक को देनी होगी।

नियम लागू होगा। आर्य ने कहा कि प्रश्नकाल व अन्य कार्यवाही स्थगित कर संवैधानिक नियमों का उल्लंघन किया गया है। कांग्रेस विधायकों ने कहा कि आदिवासी व जनजाति समाज को बाहर क्यों रखा गया। इन समुदाय की महिलाओं को विधेयक में क्यों वंचित किया गया। भाजपा विधायकों ने यूसीसी विधेयक को ऐतिहासिक करार देते हुए कहा कि विपक्ष इसे लेकर भ्रांतियां फैला रहा है। स्पीकर ने

केजरीवाल के पीए, आप सांसद

अन्य के परिसरों में ईडी का छापा

नई दिल्ली, एजेंसी

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) में कथित अनियमितताओं से जुड़ी धन शोधन की जांच के तहत दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सहायक बिभव कुमार और अन्य लोगों के परिसरों की मंगलवार को तलाशी ली। आरोप है कि डीजेबी की निविदा प्रक्रिया में अनियमितताओं से उत्पन्न रिश्वत को चुनौती फंड के रूप में आम आदमी पार्टी (आप) को भेजा गया। धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत की गई छापेमारी में ईडी के अधिकारियों ने राष्ट्रीय राजधानी के करीब 10-12 परिसरों की तलाशी ली। केंद्रीय एजेंसी के अधिकारी, बिभव कुमार, दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व सदस्य शलभ कुमार, पार्टी के राज्यसभा सदस्य और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष

एनडी गुप्ता के कार्यालय तथा चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) पंकज मंगल के अलावा पार्टी से जुड़े कुछ अन्य लोगों के परिसरों की तलाशी ले रहे हैं। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने आरोप लगाया कि 'आप' नेताओं के खिलाफ छापेमारी पार्टी को डराने और चुप कराने की कोशिश है। यह छापेमारी दिल्ली जल बोर्ड के ठेके की प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं से जुड़ी है। इसी मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने सेवानिवृत्त मुख्य इंजीनियर जगदीश कुमार अरोड़ा और ठेकेदार अनिल कुमार अग्रवाल को पिछले सप्ताह गिरफ्तार किया था।

प. बंगाल में कई जगहों पर छापा

कोलकाता। ईडी ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) कोष के कथित गबन की जांच के सिलसिले में मंगलवार सुबह पश्चिम बंगाल में कई स्थानों पर एक साथ छापेमारी की। सॉल्ट लेक के आईए ब्लॉक में एक पूर्व खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) के आवास पर छापे मारा गया। झारखण्ड में पश्चिम बंगाल लोक सेवा के एक अधिकारी के सरकारी आवास पर भी छापेमारी की जा रही है।

बिहार में जदयू एमएलसी की 26 करोड़ की दो अचल संपत्तियां कुर्क

नई दिल्ली। ईडी ने मंगलवार को कहा कि उसने बिहार में कथित अवैध रेत खनन मामले की अपनी धन शोधन जांच के तहत राज्य विधानपरिषद के सदस्य और जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के नेता राधा चरण साह की 26 करोड़ रुपये की दो अचल संपत्तियां कुर्क कीं। बिहार पुलिस ने 'ब्रॉड सन कर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड' और अन्य के खिलाफ आईपीसी और बिहार खनिज नियम, 2019 की विभिन्न धाराओं के तहत कुल 19 प्राथमिकियां दर्ज की थीं, जिसके आधार पर निदेशालय ने धन शोधन का मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। ईडी ने एक बयान में दावा किया कि जांच में सामने आया कि रेत की अवैध बिक्री और इसके खनन को मुख्य रूप से एक गिरोह द्वारा नियंत्रित किया गया और इस गिरोह के सदस्य होने के नाते राधा चरण 'साह ब्रॉड सन कर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड' के माध्यम से अपराध से भारी-भरकम आय प्राप्त कर रहे थे।

ज्ञानवापी के सभी तहखानों के एसआई सर्वे पर 15 को सुनवाई

वाराणसी। वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानवापी परिसर में बंद अन्य सभी तहखानों का एसएसआई सर्वे कराए जाने का आदेश देने के आग्रह वाली याचिका पर सुनवाई के लिए 15 फरवरी की तिथि तय की है। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता मदन मोहन यादव ने मंगलवार को बताया कि कार्यवाहक जिला जज अनिल कुमार (पंचम) की अदालत ने याचिका पर सुनवाई के लिए 15 फरवरी की तिथि तय की है। उन्होंने बताया कि ज्ञानवापी-शंभूराग गौरी मामले में पक्षकार और विश्व वैदिक सनातन संघ की सदस्य राखी सिंह ने अपनी याचिका में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटे ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सभी बंद तहखानों का एसएसआई सर्वेक्षण करने का आदेश देने का आग्रह किया।

रिटायर्ड डिप्टी एसपी ने गोली मारकर की आत्महत्या

कार्यालय संवाददाता, लखनऊ

अमृत विचार : गुडम्बा थानाक्षेत्र अन्तर्गत सेक्टर-जे जानकीपुरम में सेवानिवृत्त पुलिस उपाधीक्षक (डिप्टी एसपी) कैलाश चंद्र (73) ने मंगलवार दोपहर अपनी लाइसेंस रिवाल्वर से खुद को गोली से उड़ा लिया। पुलिस को घटनास्थल से सुसाइड नोट नहीं मिला है। हालांकि, प्रथम दृष्टया डिप्रेशन के चलते आत्मघाती कदम उठाने की बात सामने आ रही है।

एडीसीपी नार्थ अभिजीत आर शंकर के मुताबिक, मूलरूप से फरुखाबाद जनपद के कामगंज के दमदमा गांव निवासी कैलाश चंद्र वर्ष 2010 में पुलिस उपाधीक्षक पद से सेवानिवृत्त हुए थे। साल 1992 में सड़क दुर्घटना में इकलौते बेटे की मौत हो गई थी। पुत्र वियोग के कारण कुछ वर्ष बाद पत्नी

नए निर्वाचन आयुक्त के चयन को आज बैठक

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाली एक समिति निर्वाचन आयुक्त पद के उम्मीदवार का चयन करने के लिए बुधवार को यहां बैठक करेगी। तीन सदस्यीय निर्वाचन आयोग में 14 फरवरी को चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे के सेवानिवृत्त होने के बाद एक पद रिक्त हो जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (निवृत्त, सेवा शर्तें और कार्यकाल) कानून के मुताबिक, कानून मंत्री को अध्यक्षता वाली एक खोज समिति प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली चयन समिति के विचार के लिए पांच उम्मीदवारों का नाम सूचीबद्ध करेगी। प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी चयन समिति का हिस्सा हैं।

मप्र के हरदा में पटाखा फैक्ट्री में धमाका, 11 लोगों की मौत

हरदा/भोपाल, एजेंसी

मध्यप्रदेश के हरदा शहर में मंगलवार को एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट के बाद आठ लोग मौत हो गईं। घटना के बाद 14 लोग घायल हुए हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि घटना के सिलसिले में एक व्यक्ति को हिनसत में लिया गया है। यह घटना प्रदेश की राजधानी भोपाल से लगभग 150 किलोमीटर दूर हरदा शहर के बाहरी इलाके मगरधा रोड पर बैरागढ़ में हुई। राज्य सरकार को लोगों की निकासी के लिए सेना के हेलीकॉप्टर की मदद लेनी पड़ी। नर्मदापुरम के आयुक्त पवन शर्मा ने पत्रकारों से कहा कि अब तक, 174 लोगों को घटनास्थल से बचाया गया है, इनमें से 34 को भोपाल और होशंगाबाद रेफर किया गया, जबकि 140 का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। जिन लोगों को रेफर किया गया था उनमें से एक की मौत का सूचना मिली है और जिला अस्पताल से 10 लोगों की मौत का सूचना है।

मध्य प्रदेश सरकार ने विस्फोट की जांच के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है। प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि विस्फोट की आवज 25 किलोमीटर दूर तक सुनी गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी समेत देश भर से शोक संवेदनाएं व्यक्त की गईं। प्रधानमंत्री मोदी ने मृतकों के परिजनों को दो-दो लाख रुपये और घायलों को 50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने प्रत्येक मृतक के परिवार को 4-4 लाख रुपये की वित्तीय सहायता की घोषणा की और कहा कि वह घायल व्यक्तियों के इलाज का पूरा खर्च वहन करेगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने घटना की जांच के लिए पूर्व मंत्री पीसी शर्मा और रामू टेकाम की दो सदस्यीय पार्टी स्तरीय समिति गठित की है।

अजित पवार गुट ही असली राकांपा : निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली/मुंबई। निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को घोषणा की कि अजित पवार गुट ही असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) है। इसके साथ ही अजित पवार और राकांपा संस्थापक शरद पवार गुट के बीच पार्टी पर दावे को लेकर महीनों से जारी लड़ाई समाप्त हो गई है। आयोग ने अजित पवार के नेतृत्व वाले समूह को राकांपा का चुनाव चिह्न 'दीवार घड़ी' आवंटित किया। आयोग ने कहा कि निर्णय में एसी याचिका की पोषणियता के निर्धारित पहलुओं का पालन किया गया, जिसमें पार्टी संविधान के उद्देश्यों का परीक्षण, पार्टी संविधान का परीक्षण और संगठनात्मक तथा विधायी दोनों में बहुमत के परीक्षण शामिल थे। आयोग ने आगामी राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर विशेष छूट देते हुए शरद पवार के नेतृत्व वाले गुट को अपने राजनीतिक दल के लिए एक नाम का दावा करने और तीन प्राथमिकताएं प्रदान करने के लिए बुधवार दोपहर तक का समय दिया। आयोग के फैसले के खिलाफ शरद पवार के नेतृत्व वाला गुट उच्चतम न्यायालय का रुख करेगा। पार्टी के वरिष्ठ नेता जयंत पाटिल ने यह जानकारी दी।

एआई: मुश्किलों का सामना कर रहीं कोर्ट

नई दिल्ली, एजेंसी

दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस अनोश दयाल ने मंगलवार को कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के आने के साथ ही अदालतें एक जटिल एवं कठिन समय का सामना कर रही हैं। इसकी वजह से जजों को उनके समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों की प्रमाणिकता पर निर्णय करने में मुश्किल हो सकती है। एसेचैम द्वारा आयोजित तीसरे आईपी उत्कृष्टता पुरस्कार और ग्लोबल आईपी कॉन्क्लेव 'एनविजनिंग इंडियाज आईपी: इनोवेशन इकोसिस्टम फॉर विकसित भारत' में जस्टिस दयाल ने कहा, 'एआई आने के साथ हम एक बहुत ही दिलचस्प, जटिल और कठिन समय की दहलीज पर खड़े हैं, जहां

परीक्षा में धांधली पर 10 साल की जेल, एक करोड़ जुर्माना

लोक परीक्षा विधेयक-2024 को लोकसभा की मंजूरी

नई दिल्ली, एजेंसी

सरकारी भर्ती और प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्नपत्र लीक तथा फर्जी वेबसाइट जैसे अनियमितताओं के खिलाफ तीन साल से 10 साल तक की जेल और न्यूनतम एक करोड़ रुपये के जुर्माने के प्रावधान वाले लोक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) विधेयक, 2024 को मंगलवार को लोकसभा ने पारित कर दिया। लोकसभा में विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने स्पष्ट किया कि विद्यार्थी या अभ्यर्थी इस कानून के दायरे में नहीं आते और ऐसा संदेश नहीं जाना चाहिए कि इसके माध्यम से उम्मीदवारों का

उन्होंने कहा कि यह कानून उन लोगों के विरुद्ध लाया गया है जो इस परीक्षा प्रणाली के साथ छेड़छाड़ करते हैं। सिंह ने कहा कि यह विधेयक राजनीति से ऊपर है और देश के बेटे-बेटियों के भविष्य से जुड़ा है। मंत्री के जवाब के बाद सदन ने ध्वनिमत से विधेयक को पारित कर दिया। सिंह ने पुनर्परीक्षा के लिए समय-सीमा तय करने के

भारत-म्यांमा की 1,643 किमी सीमा पर लगेगी बाड़

नई दिल्ली, एजेंसी

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को घोषणा की कि सरकार ने 1,643 किलोमीटर लंबी भारत-म्यांमा सीमा पर बाड़ लगाने का फैसला किया है। यह कदम भारत-म्यांमा सीमा पर प्रचलित 'मुक्त आवाजाही व्यवस्था' को समाप्त कर सकता है। एफएमआर के तहत भारत-म्यांमा सीमा के करीब रहने वाले लोगों को बिना किसी दस्तावेज के एक-दूसरे के क्षेत्र में 16 किलोमीटर तक जाने की अनुमति दी जाती है। 1,643 किलोमीटर लंबी भारत-म्यांमा सीमा मिजोरम, मणिपुर, नगालैंड और अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है, जहां एफएमआर लागू है। इसे 2018 में भारत की



